न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
08/2019	प्रा0 पत्र धारा 229(2) RTA व आदेश 47 नियम 1 CPC	03.04.2019	03.09.2021

निरंजननाथ चेला श्री बालकनाथ जी महाराज निवासी बूंटिया (बूंटिया धाम) तहसील व जिला चूरू राजस्थान

--प्रार्थी/वादी--

बनाम

सुखाराम पुत्र मूंगाराम जाति खाती निवासी बूंटिया तहसील व जिला चूरू

--अप्रार्थी/प्रतिवादी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 (2) आर.टी.एक्ट एवं सपठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी

उपस्थित : 1. अधिवक्ता श्री आनन्द बालाण प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री भीमनाथ सिद्ध अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 (2) आर.टी.एक्ट एवं सपठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनुवानी वाद पत्र प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया था कि प्रतिवादी ने बिना वादी की अनुमति के उसके खातेदारी खेत ख. नं. 21 तादादी 6 विश्वा भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया है जो कहने के बावजूद भी खाली नहीं किया, इसलिए वादी को दावा बेदखली प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर.टी.ए. पेश किया गया। इस दावे में प्रतिवादी ने यह स्वीकार किया कि वादी के खसरा नं. 21 तादादी 6 विश्वा पर मुझ प्रतिवादी का कोई कब्जा एवं अतिक्रमण नहीं है। इस स्वीकारोक्ति के बाद प्रतिवादी के एडमिशन पर ही दावा डिक्री कर देना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया जाकर दावे में तनकियात कायम की जाकर दावा वास्ते साक्ष्यवादी में चल रहा था। दिनांक 18.03.2018 को वादी को साक्ष्य हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर मिशल दिनांक 18.04.2018 को मुकर्रर की गई किन्तु किन्ही कारणवश दिनांक 18.04.2018 को न्यायालय के समक्ष या वादी एवं वकील वादी के समक्ष ही नहीं आई तथा दिनांक 18.04.2018 के बाद क्या हुआ वादी तथा वकील वादी को पता नहीं चला।

यह कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के मिशल दिनांक 06.06.2018 को कैम्प में रखी गई एवं कैम्प में यह दावा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज करने के बजाय मैरिट पर तय कर दिया गया। यह आदेश कानून के [illegible] 8 के स्पष्ट विपरीत है। अतः यही illegality on the face of record है। आदेश 9 नियम 8 [illegible] आत्मक है। अतः इसकी पालना ही कानून है तथा अवहेलना अवैधता है। [illegible] लय द्वारा पुकार लगवाई जाने पर न्यायालय में हाजिर नहीं होते है [illegible] वादी अदम हाजरी [illegible] अदम पैरवी ही खारिज करना पड़ेगा। Merits of suit can not b[illegible]uched in the absen[illegible] plaintiff or his counsil. परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा वादी की गैर मौजूदगी में दावा वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करने की बजाय मैरिट ऑफ सूट पर दावा खारिज कर दिया जो अवैधता ऑन रिकार्ड है। इसलिए सम्पूर्ण आदेश ही illegality on the face of record होने की वजह से काबिले निरस्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि यह रिव्यू प्रार्थना पत्र इसलिए देरी से पेश किया जा रहा है क्योंकि वादी को दिनांक 18.04.2018 के पश्चात् न्यायालय द्वारा क्या क्या किया गया तथा कब किसने आदेश से पत्रावली कैम्प बूंटिया में पहुंच गई और कब दावा ही खारिज कर दिया गया इसका वादी को पता ही नहीं चला। वादी को सर्वप्रथम न्यायालय में पुराने रजिस्टर एवं कैम्प वाली फाईल देखने पर दिनांक 26.03.2019 को पता चला कि दावा अदम हाजरी के बजाय मैरिट पर तय कर दिया गया। अतः ईल्म की तारीख दिनांक 26.03.2018 से यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है जिसके लिए अलग से धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र रिव्यू पेश करके विनम्र निवेदन है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र मंजूर फरमाया जाकर आदेश दिनांक 06.06.2018 को निरस्त फरमाया जाकर पत्रावली को वापिस साक्ष्य वादी में मुकर्रर फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये जिस पर अप्रार्थी की ओर से श्री भीमनाथ सिद्ध एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया व जवाब हेतु समय चाहा गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया कि दिनांक 14.03.2018 को वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु अन्तिम मौका इस शर्त के साथ दिया गया था कि आगामी पेशी पर साक्ष्य पेश नहीं करने पर वादी की साक्ष्य स्वतः बन्द मानी जावेगी और सुनवाई के लिए तारीख पेशी 18.04.18 नियत की गई थी। उस समय राज्य सरकार के आदेश एवं निर्देशों के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम लगातार दो माह तक मई 2018 से जून 2018 तक गांव में न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक रूप से सूचित कर चलाया जा रहा था। जिस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह प्रकरण गांव बूंटिया से सम्बन्धित होने के कारण उसी आम सूचना के अनुसार इस प्रकरण की पत्रावली दिनांक 06.06.2018 को कैम्प बूंटिया में पक्षकारों की सुनवाई के लिए रखी गई थी। इस कैम्प में अनेकों मामलों का निस्तारण किया गया था। न्यायालय ने इस प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि प्रकरण वादी व प्रतिवादी के मध्य खातेदारी भूमि व आवासीय भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में सीमा का विवाद है, जो मात्र सीमाज्ञान से सम्बन्धित होने से मौका रिपोर्ट मंगवायी जानी उचित मानते हुए भू-अभिलेख निरीक्षक, कस्बा चूरू एवं पटवारी हल्का बूंटिया को वादगत कृषि भूमि की वास्तविक वस्तु स्थिति की मौका रिपोर्ट बाद जांच पेश करने हेतु आदेश दिया गया। शिविर के दौरान ही भू-अभिलेख निरीक्षक, कस्बा चूरू एवं पटवारी हल्का बूंटिया द्वारा मौके की जांच कर मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें अंकित आया कि मौका पर प्रतिवादी सुखराम का आवास ख.नं. 21 में नहीं होना पाया गया और उसका आवास गांव की आबादी भूमि में पाया गया तथा यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ कि प्रतिवादी सुखराम का कोई कब्जा या अतिक्रमण वादी के खातेदारी खेत ख. नं. 21 तादादी 6 बिस्वा की भूमि पर नहीं है। इस प्रकार से मौका रिपोर्ट के आधार पर वादी का दावा अस्वीकार कर खारिज किया गया जो निर्णय लोक अदालत के मजमा आम में मौके पर ही सुनाया गया जिसमें कानून की मनाही नहीं है। किसी कानून के खिलाफ एवं अवैधानिक निर्णय के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध नजरसानी पेश नहीं हो सकती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य गलत, [illegible] वादी एवं उसके अधिवक्ता को आदेश दिनांक 06.06.2018 का ज्ञान शुरू से ही रहा [illegible] कैम्प बूंटिया में इस पत्रावली के होने की जानकारी अच्छे तरीके से रही है, [illegible] के आशय से दिनांक 26.03.2019 को सर्वप्रथम जानकारी होने की [illegible] पत्र किसी भी प्रकार से अन्दर मियाद नहीं है। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.06.2018 में [illegible] illegality on the face of record नहीं है और निर्णय विधिसम्मत तरीके से पारित किया गया है। अतः वादी का यह नजरसानी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं मियाद माफी प्रार्थना का अवलोकन किया जाकर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जानकारी दिनांक 26.03.2019 से अन्दर मियाद पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थी के सुनवाई के अधिकार के मध्यनजर न्यायहित में मियाद माफी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र नजरसानी अन्दर मियाद माना जाता है।

प्रार्थना पत्र नजरसानी पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी का दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.ए. का में तनकियात् कायम होकर साक्ष्यवादी में विचाराधीन था परन्तु कैम्प बूंटिया में वादी एवं उसके अधिवक्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी अनुपस्थिति में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी के बजाय मैरिट पर निर्णित कर दिया गया जो कि आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने से illegality on the face of record है। जब वादी या उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो तो न्यायालय को वादी का दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में ही खारिज करना पड़ता है। Merits of suit can not be touched in the absence of plaintiff or his counsil. परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा वादी की गैर मौजूदगी में दावा वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज करने की बजाय मैरिट ऑफ सूट पर दावा खारिज कर दिया जो अवैधता ऑन रिकार्ड है। इसलिए सम्पूर्ण आदेश ही illegality on the face of record होने की वजह से काबिले निरस्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 06.06.201 को अपास्त किया जावे एवं दावा वादी साक्ष्यवादी में नियत फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस कथनों के समर्थन में राज. टेनेन्सी एक्ट 1955 की तृतीय अनुसूची पृष्ठ संख्या 293 एवं न्यायिक दृष्टान्त 1991 S.C. पेज 1117 से 1121 एवं R.R.D. 1979 पेज 564--565 पेश किये।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 06.06.2018 में कोई भी illegality on the face of record नहीं है। न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट में सामने आये तथ्यों के आधार पर लोक अदालत के मजमा आम में निर्णय किया गया है। किसी कानून के खिलाफ एवं अवैधानिक निर्णय के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। इस प्रकार के आदेश के विरूद्ध नजरसानी पेश नहीं हो सकती। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नजरसानी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यान से अवलोकन किया जाकर उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं बहस के तथ्यों पर मनन से यह परिलक्षित होता है कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र नजरसानी अन्तर्गत धारा 229 (2) आर.टी.ए. व सपठित आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के तहत दावा संख्या 49/2014 अनुवानी निरंजननाथ बनाम सुखराम में इस न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार 2018 के तहत आयोजित राजस्व शिविर बूंटिया के मजमा आम में पारित निर्णय को निरस्त करवा कर दावा को उसी स्तर पर रिस्टोर करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 229 (2) में यह प्रावधान किया गया है कि **"सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 5, सन् 1908) के उपबन्धों के अधीन—**

(ii) "बोर्ड के अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व न्यायालय उक्त न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, आज्ञा या निर्णय का पुनरावलोकन ... अतः इसमें सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 की सीमा में ही ... जिसमें अभिलेख में स्पष्टतः व ऊपरी तौर से दिखाई देने वाली गलती के आधार पर ही ... की जा सकती है। आदेश 47 नियम 1 (ग)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सीपीसी में यह प्रावधान किया गया है कि "जो कोई व्यक्ति– लघुवाद न्यायालय द्वारा किए गए निर्देश पर विनिश्चय से, अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात्, उस समय जब डिक्री पारित की गई थी, यह आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्ध पारित डिक्री या किए गए आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए, वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश दिया था।" अतः रिव्यू (नजरसानी) का दायरा बहुत ही सीमित है। अभिलेख में सुस्पष्ट गलती ही सुधारी जा सकती है परन्तु उन्हीं तथ्यों पर दुबारा सुनवाई नहीं की जा सकती है। पुनरावलोकन की प्रकिया अपील की प्रकिया जैसी नहीं है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1991 S.C. पेज 1117 से 1121 एवं R.R.D. 1979 पेज 564–565 का भी ससम्मान अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से परिलक्षित होता है कि उक्त न्यायिक दृष्टान्त क्रमशः अपील एवं रिवीजन से सम्बन्धित होने से इस रिव्यू प्रकरण पर हुबहू चस्पा नहीं होते हैं।

इस प्रकार धारा 229 (2) आर.टी.ए. एवं आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रावधानों के तहत पुनर्विलोकन का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। निर्णय में सहज दृष्टव्य त्रुटि (error apparent on the face of the record) प्रकट होने पर ही पुनर्विलोकन किया जा सकता है। प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा error apparent on the face of the record नहीं बताकर illegality on the face of record होने का बार–बार उल्लेख किया है जबकि उक्त निर्णय दिनांक 06.06.2018 में कोई सहज दृष्टव्य त्रुटि या गलती या अन्य कोई पर्याप्त कारण दृष्टिगत नहीं होता है (There is no error apparent on face of record or mistake or any other sufficient reason.), जिससे प्रार्थी का यह रिव्यू (नजरसानी) प्रार्थना पत्र धारा 229 (2) आर.टी.ए. एवं सपठित आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. के प्रावधानों में कवर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 (2) आर.टी.ए. व सपठित आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. का खारिज योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा धारा 229 (2) आर.टी.ए. एवं सपठित आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी. के प्रावधानों में कवर नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 03.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.10.22 13:05:17 IST
Reason: SelfAttested